MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/GoI/2017–18 जयपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 09.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले लाभार्थियों, जिनके नाम योजना के अंतर्गत तैयार की गई आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध स्थाई वरीयता सूची में नहीं है, की पहचान एवं योग्यता के निर्धारण उपरान्त चयन हेतु निर्देशित किया गया है।

सभी के लिए आवास के लक्ष्य की पूर्ति के मद्देनजर आवश्यक है कि वास्तव में वंचित लोगों की पहचान एवं योग्यता का निर्धारण कर नियमानुसार ग्रामसभा आयोजित कराकर उसमे अनुमोदन प्राप्त क़रे। ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन उपरांत चिन्हित परिवारों की सूची का जिला अपीलेट कमेटी स्तर से परीक्षण उपरांत चिन्हित पात्र परिवारों के वर्तमान निवास कच्चा आवास (आवासहीन हेतु आवश्यकता नहीं) की जीओ टैगिंग आदि की प्रकिया समयबद्ध रूप से संपादित करायी जावे।

उक्त के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित करावे :–

1. ग्राम पंचायतवार योजना के कियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुबंध 1 में स्वतः अन्तर्वेशन (Inclusion) के लिए निर्धारित 5 मानदण्डधारी परिवारों का अनिवार्य रूप से चिन्हीकरण का दायित्व ग्राम पंचायतवार सचिव, ग्राम पंचायत के साथ अन्य कार्मिकों को सौपा जावे। उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण नहीं होने पर इनके परिवाद सीएम हैल्पलाईन/अन्य माध्यमों से बहुसंख्या में प्राप्त होते हैं जिनका निराकरण निर्धारित वरीयता में समय पर शामिल नहीं करने से संभव नहीं हो पाता है।
2. जिला स्तर से पात्र परिवारों के परीक्षण हेतु राजपत्रित स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में आवश्यकतानुसार प्रति पंचायत समिति दल गठित किये जावे।
3. योजना की पात्रता हेतु अनुबंध 1 में वर्णित 13 पैरामीटर में से एक भी पैरामीटर को पूरा करने वाला परिवार एवं पूर्व में अन्य किसी आवासीय योजना में लाभान्वित परिवार को अनिवार्य रूप से अपात्र माना जावे।
4. आवासहीन परिवारों को भूमि का आवंटन भी नियमानुसार किये जाने की प्रकिया प्रारम्भ की जावे।
5. ऐसे सभी मकानों को कच्चा आवास माना जावे जो घास/बांस/प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्हू की छत एवं इन्हीं सामग्रियों व मड/बिना पकी ईंट, लकडी व पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नहीं लिया गया हो, से बने हो।
6. ग्रामसभा से अनुमोदन एवं ग्रामसभा की कार्यवाही विवरण में पात्र परिवार के मुखिया एवं पात्र होने के कारणों को वर्णित कर कार्यवाही विवरण में लिखा जाना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक ग्रामसभा में नामित किये जाने वाले अधिकारी/प्रतिनिधि को पूर्व प्रशिक्षण देकर ग्रामसभा का कलेण्डर जारी कर उचित प्रचार–प्रसार योजना के प्रशासनिक मद से किया जावे।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया में पात्रता जारी लाभार्थी के वर्तमान रहवास के स्थान की जीओ टैगिंग की जाकर ग्राम पंचायतवार सॉफ्ट कॉपी में संग्रहित किये जाने के निर्देश हैं। अतः उक्त के क्रम में भी कार्मिकों /आवास सहायकों को प्रशिक्षित किया जाकर ग्राम पंचायतवार दायित्व सौपा जावे।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 14.02.2018 (प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक) को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग (एनआईसी के माध्यम से) के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आवास प्रभारी अधिकारी जिला परिषदों को भाग लेने हेतु निर्देशित करें।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रकिया से तैयार सूची का राज्य स्तर से संकलित कर भिजवाये जाने के निर्देश है। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर से राज्य द्वारा प्रेषित सूची का स्पेस टेक्नोलॉजी एवं रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन भी किया जाना प्रकिया में निर्धारित है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि प्रकिया की पूर्ण प्रमाणिकता को सुनिश्चित किये जाने हेतु भी अतिरिक्त से जिला स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण का दायित्व सौपकर समस्त प्रकिया पूर्ण कराकर तैयार की गई सूची विभाग को दि. 28.02.2018 तक प्रेषित कराने का श्रम करावें।

भवदीय

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
12. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
13. निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. परियोजना निदेशक (मो एवं मू), को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
15. श्री श्रीपाल यादव, प्रभारी वीडियों कॉन्फ्रेंसिग, सचिवालय को दिनांक 14.02.2018 को 10:30 से 11:30 बजे जिलों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिग की व्यवस्था बाबत्।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
17. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि